भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3131

07 अगस्त, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

शहरी बेघर लोगों से संबंधित आंकड़े

†3131. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश भर के शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों की संख्या के बारे में अद्यतन और अलग-अलग आंकड़े हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो रोजगार या आजीविका की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर चुके हैं ओर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बेघर लोगों की समस्या से निपटने के लिए कोई केंद्र प्रायोजित योजनाएं या समर्पित कार्यक्रम हैं, जिनमें आश्रय, स्वच्छता और बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रमुख शहरी क्षेत्रों में कोई वर्तमान में चल रहे और पर्याप्त रूप से वित्तपोषित आश्रय गृह या रैन बसेरा हैं और यदि हां, तो केंद्र या राज्य पहल के तहत स्थापित ऐसे आश्रयों की संख्या कितनी है,

(घ) क्या सरकार ने अनुमानित बेघर आबादी के संबंध में इन आश्रयों की पर्याप्तता का आकलन किया है और क्या इन सुविधाओं का कोई मूल्यांकन या लेखा परीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का देश भर के 50 सबसे अधिक आबादी वाले शहरी जिलों में, विशेष रूप से बढ़ते आंतरिक प्रवास को ध्यान में रखकर, आश्रय अवसंरचना के निर्माण और रखरखाव के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी गरीबी उपशमन शहरी स्थानीय निकायों का विषय है। हालांकि, 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में कुल शहरी बेघर जनसंख्या 9,38,348 थी। विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) और (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने डीएवाई-एनयूएलएम, केंद्रीय प्रायोजित योजना के एसयूएच घटक का संचालन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किया। इसका उद्देश्य शहरी बेघरों को बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित स्थायी आश्रय गृह प्रदान करना था। एसयूएच के दिशानिर्देशों के अनुसार, शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृहों में सामाजिक सुरक्षा, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के विभिन्न अधिकारों के समावेश का प्रावधान किया जाता है। डीएवाई-एनयूएलएम की कार्यान्वयन अवधि 30.09.2024 तक थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत देश-भर में कुल 1,995 आश्रय गृहों को सक्रिय बनाया गया है ।

(घ) और (ड.) शहरी बेघर बहुल क्षेत्रों का पता लगाना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की ज़िम्मेदारी है। एसयूएच के दिशानिर्देशों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा व्यवस्थित तृतीय-पक्ष सर्वेक्षण कराने का प्रावधान किया गया है, ताकि उपयुक्त स्थानों पर आश्रय गृहों की आवश्यकता का सटीक आकलन किया जा सके।

एसयूएच के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक एक लाख शहरी आबादी पर कम से कम सौ लोगों के लिए स्थायी आश्रय गृहों का प्रावधान किया जाना चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, प्रत्येक आश्रय गृह में अधिमानतः 50 या अधिक व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। असाधारण परिस्थितियों में, कम क्षमता वाले आश्रय गृहों को भी मंजूरी दी जा सकती है।

एसयूएच के प्रचालन दिशानिर्देशों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया है कि कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की गुणवत्ता जाँच हेतु स्वतंत्र गुणवत्ता मूल्यांकन कराएं। इसमें चलाए जा रहे आश्रय गृहों की तिमाही आधार पर गुणवत्ता लेखा-परीक्षा, तृतीय पक्ष के बाह्य समीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा और प्रत्येक आश्रय गृह की वर्ष में कम से कम एक बार सामाजिक लेखा-परीक्षा कराने का भी प्रावधान किया गया है। यह मिशन 30.09.2024 को समाप्त हुआ।

*****

अनुलग्नक

(दिनांक 07.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3131 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक)

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बेघर शहरी जनसंख्या

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	शहरी बेघर आबादी
1	आंध्र प्रदेश*	75,857
2	अरुणाचल प्रदेश	313
3	असम	2,527
4	बिहार	12,591
5	छत्तीसगढ	6,533
6	गोवा	1,693
7	गुजरात	84,822
8	हरियाणा	23,789
9	हिमाचल प्रदेश	872
10	जम्मू और कश्मीर	10,848
11	झारखंड	6,967
12	कर्नाटक	35,473
13	केरल	7,761
14	मध्य प्रदेश	66,055
15	महाराष्ट्र	1,11,373
16	मणिपुर	1,331
17	मेघालय	177
18	मिजोरम	104
19	नागालैंड	344
20	ओडिशा	14,053

21	पंजाब	18,374
22	राजस्थान	73,236
23	सिक्किम	32
24	तमिलनाडु	37,117
25	त्रिपुरा	1,352
26	उत्तर प्रदेश	1,80,929
27	उत्तराखंड	5,556
28	पश्चिम बंगाल	1,04,967
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	65
30	चंडीगढ़	4,133
31	दादर और नगर हवेली	281
32	दमन और दीव	591
33	दिल्ली	46,724
34	लक्षद्वीप	0
35	पुदुचेरी	1,508
	कुल	**9,38,348**

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार: आवासहीन जनसंख्या, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय।

नोट: *: आंध्र प्रदेश का तात्पर्य पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य से है, अर्थात वह क्षेत्र जिसमें वर्तमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य शामिल हैं।